F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जगदीशसिंह बनाम मनोज वर्मा वगैरा

किस्म मुकदमा – दावा अ.धा 188 आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर – 61 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.05.2024	वादी की ओर से श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड0 ने स्वयं उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 20.05.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
20.05.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर घोषणा का अनुतोष लिये जाने से छूट जाने से उक्त दावा को विड्रा कर नया वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील वादी के निवेदन पर वाद पत्र को विड्रा किया जाकर खारिज किया [illegible] एंव नया वादपत्र पेश किये जाने की स्वीकृति [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible]र हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.05.30 10:39:06 IST
Reason: SelfAttested